

## जनजातियों को मुख्यधारा में लाना

यह एडिटरियल 15/11/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "What are the hurdles to building schools for tribals?" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में जनजातियों को मुख्यधारा में लाने से संबंध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

जनजातियों (Tribes) भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमारी सभ्यता की सांस्कृतिक पच्चीकारी (Cultural Mosaic) के साथ एकीकृत है। जनजातियों भारतीय आबादी में 8.6% की हस्तिसेदारी रखती हैं।

- **जातीय आदवासी उप-राष्ट्रवाद** (Ethnic tribal sub nationalism) जनजातीय समुदायों की प्रगति के लिए एक गंभीर चुनौती है। जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ देना मुख्यधारा और जनजातियों के बीच वकिलातमक विभाजन को और गहरा करेगा।
- दूसरी ओर, नए खनन और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जनजातीय भूमियों का तेजी से अधिग्रहण किया जा रहा है। इन नीतियों को प्रायः जनजातीय लोगों को पराभूत करने और उन संसाधनों के क्षरण के कारण के रूप में देखा जाता है जिन पर वे निर्भर होते हैं।
- इसलिये यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को एक बहुदीर्घ परिप्रेक्ष्य से देखा जाए और एक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारतीय समाज में अभिवाही होने योग्य समाधान खोजे जाएं।

### जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालांकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) शब्द को शामिल किया गया।
- **संविधान की पाँचवीं अनुसूची** अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में 'जनजाति सलाहकार परिषद' की स्थापना का प्रावधान करती है।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के कनिष्ठी वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) की उन्नति के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष भाषा, लिपि या सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 46:** राज्य, लोगों के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
  - **अनुच्छेद 350:** भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।
- **राजनीतिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 330:** अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 332:** राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 243:** अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण।
- **प्रशासनिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

### जनजातियों से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय**

- [ट्राइफेड \(TRIFED\)](#)
- [जनजातीय वदियालयों का डिजिटल रूपांतरण](#)
- [वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों \(PVTGs\) का विकास](#)
- [प्रधानमंत्री वन धन योजना](#)

## भारत में जनजातिसमुदायों के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **शैक्षिक असमानता:** भौगोलिक स्थिति, वरिल आबादी और आदवासी गाँवों की दुर्गमता जैसे कई कारक हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में वदियालय तक पहुँच को कठिन बनाते हैं।
  - वदियालय की सुवधा उपलब्ध होने के बाद भी कार्यबल में बच्चों की समयपूर्व भागीदारी, घोर गरीबी, घरों में शक्ति समर्थक संस्कृति का अभाव आदि के परिणामस्वरूप जल्द ही वदियालय छोड़ देने (early dropout) की उच्च दर बनी हुई है।
  - इसके साथ ही, प्रवासी आबादी में बड़ी संख्या में आदवासी समुदायों के लोग शामिल हैं। बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ जाते हैं, वे स्कूल छोड़ देते हैं और कार्य स्थलों पर कठोर श्रम से संलग्न होने के लिये वविश होते हैं।
- **महिलाओं की स्थिति में गरिषवट:** प्रकृति का क्षरण (वशिष रूप से जंगलों के वनिश और सकिडते संसाधनों के रूप में) आदवासी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है जो आहार ग्रहण के मामले में सबसे बाद में आती हैं।
  - इसके अलावा, खनन एवं उद्योगों के लिये आदवासी क्षेत्रों के खुलने के साथ आदवासी महिलाएँ आय अर्जन के लिये कूर संचालनों के अधीन गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके वस्तुकरण (Commodification) की स्थिति बनी है।
- **बड़े पैमाने पर वसिथापन:** बजिली परियोजनाएँ, उद्योग और बड़े बांध आदवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापति हो रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमिके अधगिरहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर वसिथापन हुआ है और अपर्याप्त पुनर्वास ने समस्या को बढ़ा दिया है।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जनजातिसमुदाय सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
  - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और इको-पार्कों का विकास उनके प्रयावास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उनकी जीविका को वसिथापति कर रहा है, जिससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - वर्ष 2014 में कानहा टाइगर रज़िर्व से मूल नवासी बैगा और गोंड समुदायों के लगभग 450 परिवारों को बाहर कर दिया गया था।
- **मूल नवासी पहचान का क्षरण:** पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं और कानूनों का आधुनिक संस्थानों से टकराव बढ़ रहा है, जिससे समुदाय के लोग अपनी मूल पहचान बनाए रखने के बारे में चिंति हुए हैं।
  - चिंति का एक अन्य कारण जनजातीय बोलियों और भाषाओं का लुप्त होना है।
- **सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ:** जनजातीय लोग सामाजिक और संस्थागत स्तरों पर भेदभाव के परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्करण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें फरि अलगाव की ओर और आगे आत्म-बहिष्करण (self-exclusion) की ओर प्रेरित करता है।
  - आदवासी लोगों के लिये, विकास गतिविधि उनके घर में घुसपैठ की तरह महसूस होती है। नतीजतन, उन्हें अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है, और यह उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे अन्य जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ:** आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण आदवासी आबादी मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।
  - यह कुपोषण से जुड़ी समस्याओं से भी ग्रस्त है, जैसे आयरन की कमी एवं एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि।

## आगे की राह

- **आदवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखना:** वनों के वाणजियीकरण को संरचनागत रूप देने के लिये वन विकास नगिमों (FDCs) के पुनरुद्धार की और लघु वनोपजों की खोज, नषिकरण और संवृद्धि में आदवासी समुदायों को 'वन उद्यमियों' के रूप में संलग्न करने की आवश्यकता है।
- **शैक्षिक और डिजिटल समता:** एकलव्य मॉडल स्कूल पहल को शक्ति के डिजिटलीकरण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के वसितार का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये ताकि भारत में कोई भी क्षेत्र डिजिटल रूप से अलग-थलग न रहे।
- **जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण:** आदवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इसके लिये:
  - संयुक्त वन प्रबंधन एवं पंचायति राज संस्थाओं में उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी जाए।
  - महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक के लिये कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किये जाएँ; इसके साथ ही अधिमानतः महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिये अभियान चलाए जाएँ।
- **जनजातियों को मुख्यधारा में लाना:** देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने के लिये गैर-जनजाति आबादी को जनजातीय लोगों की क्षमता एवं उनकी गरिमा के संबंध में शक्ति किया जाना चाहिये।
- **वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल:** सरकार वनों से औषधीय पौधों की पहचान एवं उनके संग्रहण के लिये आदवासी समूहों के साथ सहयोग कर सकती है। इसके अलावा, जनजातियों के स्व-उपभोग के साथ-साथ स्थानीय राज्यों में बिक्री के लिये उपयुक्त पादप प्रजातियों की खेती को भी बढ़ावा

दिया जा सकता है।

- भारतीय औषध नरियात को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में जनजात समुदायों के समक्ष वदियमान प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिये। जनजातियों को मुख्यधारा में लाने और जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये वभिन्न उपायों के सुझाव भी दीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

**????????? ?????:**

**प्रश्न.** अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार कसिं होगा? (वर्ष 2013)

- (A) राज्य वन वभिग
- (B) ज़िला कलेक्टर / उपायुक्त
- (C) तहसीलदार/प्रखंड विकास पदाधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी
- (D) ग्राम सभा

**उत्तर: (D)**

**????? ????:**

**प्रश्न.** भारत में जनजातीय समुदायों में वविधिताओं को देखते हुए कनि वशिष्ट संदर्भों में उन्हें एक ही श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिये? (वर्ष 2022)

